



मुकदमा नम्बर 20/2022

फर्द अहकाम

	राजू बनाम ओमप्रकाश वर्मा	
07-02-2022	<p>प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी द्वारा पेश हुआ। अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थी को सुना गया।</p> <p>प्रार्थी को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने तथा जमाबन्दी का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रकरण प्रथम दृष्टया सुदृढ एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। इसलिए प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश प्रारित करना उचित समझते हैं।</p> <p>अतः उभयपक्षों को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम राहोरी तहसील जमवारामगढ़ में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 229 रकबा 1.9200 हैक्टेयर का बैचान, रहन, हस्तान्तरण नहीं करे तथा राजस्व रिकॉर्ड कि यथास्थिति बनाये रखें, उक्त आदेश पर आपत्ति हो तो न्यायालय हाजा में आगामी तारीख पेशी दिनांक 11-03-2022 को पेश करें। आदेश की प्रालनार्थ तहसीलदार, उपपंजीयक महोदय जमवारामगढ़ थानाधिकारी को तहरीर जारी हो। पत्रावली दिनांक 11-03-2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ </p> <p>11/03/22; पत्रावली पेश हुई। <u>वकील प्रार्थी उषा</u> पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/जवाब <u>जवाब</u> दिनांक <u>16/3/22</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला-जयपुर </p> <p>16/03/22 पत्रावली पेश हुई। <u>वकील प्रार्थी उषा</u> पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/जवाब <u>जवाब</u> दिनांक <u>29/3/22</u> को पेश हो।</p>	

29/6/22

बनाबनी पैसा हुई. अधिकता सब द्वारा
अपडोलेस/कार्य का बहिष्कार करने पर
बनाबनी पूर्वनिर्णय दिनांक पैसा हुई

29/6/22

8/8/22

बनाबनी पैसा हुई. अधिकता सब द्वारा
अपडोलेस/कार्य का बहिष्कार करने पर
बनाबनी पूर्वनिर्णय दिनांक पैसा हुई

29/8/22

राजेन्द्र

29/8/22

पक्षी ने पहिले एड. सी शंभुशंकर शास्त्री के
एक पत्रिका पत्र द्वारा बिड़ो करने बाबत पैसा
करने पर पत्रिकावली तलाब की गड़ी। पक्षी
ने वकील शर्मा को उनका जवाब बिड़ो
पत्रिका पत्र तलाक पर कट भूल वाड पत्र
को खारिज किया। जान पर शत्रु श. पत्र
को आगे नमाने का कोई औचित्य नहीं
है। पक्षी को खारिज किया
जाना है। पत्रिकावली केवल शत्रु
होकर नमक ले कर है। बाद शत्रु
दाखिल इफर है।

उपखण्ड अधिकारी
जमशाराममद

प्रा
क